राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 798/2011/भरतपुर.
2. अपील संख्या –1722/2011/भरतपुर.

मैसर्स एम. आर. ऑयल इण्डस्ट्रीज, भरतपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

1. उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, भरतपुर.
2. सहायक आयुक्त, वृत–ए, भरतपुर/
   वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, भरतपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री अलकेश शर्मा, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एन. के. बैद,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी (राजस्व) की ओर से.

निर्णय दिनांक : 15/03/2017

निर्णय

1. उपरोक्त दोनों अपीलें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर विभाग, भरतपुर, (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 89/उपा–अपील्स/2010–11 में पारित किये गये आदेश दिनांक 24.02.2011 एवं 221/उपा–अपील्स/2010–11 में पारित किये गये आदेश दिनांक 21.04.2011 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत पेश की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेशों से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी की आलौच्य अवधियों के लिये पारित किये गये पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करते हुए कतिपय बिन्दुओं पर प्रकरण प्रतिप्रेषित किये हैं।

2. इन दोनों अपीलों में विवादित बिन्दु एवं पक्षकार समान होने से दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण वर्ष क्रमशः 2007–08 व 2006–07 के दौरान अन्तर्राज्यीय व्यापार के क्रम में सरसों तेल व खल की बिक्री घोषणा पत्र 'सी' के समर्थन में करना घोषित किया। अपीलार्थी व्यवहारी ने अन्तर्राज्यीय व्यापार के क्रम में घोषणा प्रपत्र 'सी' के समर्थन पर घोषित विक्रय के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये घोषणा पत्र 'सी' की जाँच क्रेता व्यवहारीगण के राज्य बिहार से कराये जाने पर पाया गया कि प्रस्तुत किये गये घोषणा पत्र 'सी' वैध फॉर्म नहीं हैं क्योंकि प्रस्तुत

लगातार.....2

किये गये प्रपत्र बिहार राज्य के बिक्री कर विभाग के क्रेता व्यवहारियों के कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विधिक रूप से जारी किये गये प्रपत्र नहीं हैं। कर निर्धारण अधिकारी ने ऐसे प्रपत्रों को मिथ्या व बोगस ठहराते हुये कर, ब्याज व शास्ति का आरोपण किया है। जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न तालिका में दिया गया है :—

अपील संख्या	अवधि	क.नि.आ.दिनांक	कर	ब्याज	शास्ति
798/2011	2007—08	31.03.2010	58,050	17,415	1,16,100
1722/2011	2006—07	24.07.2010	82,297	37,033	1,64,594

4. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने बहस में कथन किया की माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा समान बिन्दु की 41 अपीलों का निर्णय दिनांक 25.06.2015 को किया गया है। जिसमें अविधिक/बोगस/मिथ्या 'सी' फार्म के प्रस्तुत करने पर आरोपित अन्तर कर व ब्याज की पुष्टि की है तथा शास्ति को अपास्त किया है। विद्वान अभिभाषक ने अग्रिम कथन किया कि हस्तगत प्रकरण माननीय खण्डपीठ के निर्णय दिनांक 25.06.2015 से पूर्णतः आच्छादित है। अतः अपीलें तद्नुसार स्वीकार करने की प्रार्थना की है।

5. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय आदेशों का समर्थन किया तथा अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें अस्वीकार करने की प्रार्थना की।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया; उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया तथा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन किया गया।

7. हस्तगत प्रकरणों में यह निर्विवादित है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत 'सी' फॉर्म बिहार राज्य से जांच कराये जाने पर मिथ्या/बोगस पाये गये, जिसके आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त घोषणा पत्रों को अस्वीकार करते हुए कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा **अपील संख्या 790/2011/भरतपुर मैसर्स टाटा श्री भगवती ऑयल इण्डस्ट्रीज, भरतपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, भरतपुर व अन्य प्रकरणों में दिनांक 25.06.2015** को निर्णय पारित करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर एवं ब्याज की पुष्टि की गयी है, जबकि वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **(2010) 26 टैक्स अपडेट 01 श्रीकृष्णा इलेक्ट्रिकल्स** के आलोक में अपास्त किया गया है। हस्तगत प्रकरण माननीय राजस्थान कर बोर्ड के उक्त न्यायिक दृष्टान्त

लगातार.....3

से पूर्णतः आच्छादित है, जिससे यह पीठ सहमत होने से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर व ब्याज की पुष्टि की जाती है तथापि ब्याज के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण को कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया था, इसमें कोई त्रुटि नहीं पाते है। वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति की सीमा तक उपरोक्त उद्धरण के आलोक में कर निर्धारण आदेश अपास्त किये जाते हैं।

8. परिणामस्वरूप उपरोक्तानुसार अपीलार्थी व्यवहारी की दोनों अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं

9. निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष